न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश (313)

मुस0 धनेश्वरी बेवा पत्नी लोलारक नाथ ब्रा0 उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम कटौली तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

II/निग./1676/2018/सि.

.......................आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

कमलेश प्रसाद द्विवेदी पिता रघुनाथ प्रसाद ब्रा0 उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम कटौली तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0) ....अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवसर के राजस्व प्रकरण कमांक 182/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06/12/2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :–

1. यह कि अनावेदक द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवसर के न्यायालय में आवेदिका/निगरानीकर्ता के विरूद्ध ग्राम पंचायत क्षेत्र हर्राचन्देल के द्वारा ग्राम सभा के बैठक दिनांक 03/08/2000 के प्रस्ताव कमांक 1 के द्वारा पारित नामान्तरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 24/07/2017 को अनावेदक और उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पेशी सुनवाई पर उपस्थित न होने पर अदम पैरवी में पाये जाने पर म0प्र0 भू–राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / 1676 / 2018 / भू–रा0 जिला–.सिंगरौली

श्रीमती धनेश्वरी / कमलेश प्रसाद द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्निहात्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 182 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.12.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 13.01.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

अनावेदक और उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पेशी सुनवाई पर

उपस्थित न होने पर अदम पैरवी में पाये जाने पर म0प्र0 भू–राजस्व